R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 2
अगस्त 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत हेतु अतिरिक्त दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अंतर्गत आंतरिक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। इस समूह का गठन बैंकों को दिये गये दिशानिर्देशों/अनुदेशों को देखने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों को उपलब्ध कराने के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन और अतिरिक्त सुझाव देने के लिए किया गया। समूह द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को नीचे दिये गये अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन तत्काल करना चाहिए, विशेषत: हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में आये बाढ़ के संदर्भ में ऐसा करना आवश्यक है।

ग्राहकों को उनके बैंक खातों तक पहुंचाना

ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई है और सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ है वहां रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए बैंक अस्थायी परिसर से अपना परिचालन कार्य कर सकती है। अस्थायी परिसर को 30 दिन से अधिक दिनों के लिए जारी रखने हेतु रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) से विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा। बैंकों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में सेटेलाईट कार्यालय स्थापित करके, विस्तार काउंटर खोलकर अथवा मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही, ग्राहकों की तत्काल नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक प्रतिबंधित खातों, जैसे स्थायी जमाराशियों पर दंड को हटाने पर विचार कर सकती है। एटीएम का कार्य शीघ्र पुन: आरंभ करने अथवा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने को अत्याधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। बैंक अपने ग्राहकों को अन्य एटीएम नेटवर्क, मोबाइल एटीएम आदि का प्रयोग की अनुमति देने के लिए व्यवस्था कर सकती है।

मुद्रा प्रबंधन

यदि बैंक की मुद्रा तिजोरी शाखा प्रभावित हुई है तो भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए बैंक अन्य बैंक के किसी भी नज़दीकी कार्यरत मुद्रा तिजोरी शाखा से संपर्क कर सकता है जो प्रभावित मुद्रा तिजोरी को मुद्रा नोटों की आपूर्ति कर सकता है ताकि बैंक उससे जुड़ी बैंक शाखाओं को नकदी की आपूर्ति कर सके। यदि आवश्यक हो तो जिन बैंकों की मुद्रा तिजोरी प्रभावित हुई हो वे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देते हुए अस्थायी अवधि के लिए निक्षेपागार खोल सकते हैं ताकि दैनंदिन नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा नया खाता खोलने की सुविधा के लिए विशेषत: सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा दी जा रही विभिन्न राहतों को प्राप्त करने के लिए बैंक निम्नलिखित दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करते हुए नये खाते खोल सकते है -

(क) ऐसे अन्य खाताधारक जिसने संपूर्ण केवाइसी क्रियाविधि का अनुपालन किया है से परिचय कराये जाने पर अथवा

(ख) पहचान के दस्तावेज़ जैसे वोटर का पहचान कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस, कार्यालय, कंपनी, विद्यालय, महाविद्यालय आदि द्वारा जारी पहचानपत्र आदि तथा पता दर्शाता दस्तावेज़ जैसे - बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि अथवा

(ग) दो पड़ोसी जिनके पास उपर उल्लिखित दस्तावेज है, के द्वारा दिया गया परिचय अथवा

(घ) उपर्युक्त उपलब्ध ना होने पर अन्य कोई सबूत जिससे बैंक संतुष्ट हो।

उपर्युक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होंगे जहां खाते में बकाया शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो अथवा प्रदान की गयी राहत की राशि (यदि अधिक है) और खाते में जमा कुल राशि 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है अथवा वर्ष के दौरान प्रदान की गयी राहत की राशि (यदि अधिक है)।

समाशोधन और निपटान प्रणाली

समाशोधन सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 20 बड़े शहरों में *ऑन सीटी बैंक अप सेन्टर* और शेष शहरों के लिए प्रभावी अल्प लागत निपटान समाधान के लिए सूचित किया है। समाशोधन क्षेत्रों

विषय सूची

पृष्ठ

नीति
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत हेतु अतिरिक्त दिशानिर्देश 1
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश 2

बैंकिंग
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने में हुई चूक पर दंड 3
प्राइमरी डीलरशिप (पीडी) कारोबार करनेवाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश 4

विदेशी मुद्रा
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जमानत का अनुरक्षण 4
विदेशी प्रतिभूतियों में म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवेश 4

में जहां सामान्य समाशोधन सेवाओं में बाधाएं आयी है वहां बैंक लचीली समाशोधन सेवाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है। तथापि, इन व्यवस्थाओं के बावजूद बैंक द्वारा ग्राहकों की निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी राशियों के लिए बैंक, चेकों को भुनाने पर विचार कर सकती है। बैंक द्वारा इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण, इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली अथवा डाक सेवाओं के शुल्क को भी माफ करने पर विचार किया जा सकता है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में निधि के आवक अंतरण की सुविधा दी जा सके।

नये ऋण और वर्तमान ऋणों का पुर्ननिर्धारण

प्राकृतिक आपदाएं आने पर उधारकर्ता को आवश्यक वित्तीय सहायता निम्नानुसार है -

(i) उपभोग ऋण

(ii) कारोबार को सामान्य रूप से पुन: आरंभ करने के लिए नये ऋण

(iii) वर्तमान ऋणों को पुर्ननिर्धारित करना

(i) उपभोगता ऋण

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, वर्तमान उधारकर्ताओं को सामान्य उपभोग के प्रयोजनों के लिए 250 रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं तथा उन राज्यों में यह सीमा 1000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है जहां राज्य सरकारों द्वारा ऐसे उधारों के लिए जोखिम निधि का गठन किया गया है। वर्तमान सीमा बिना किसी संपार्श्विक के 10,000 रुपये तक बढ़ायी जा सकती है तथा जोखिम निधि का गठन न किए जाने पर भी ऐसे ऋण तब भी प्रदान किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त इस सीमा को बैंक के विवेक पर 10,000 रुपये से भी अधिक बढ़ायी जा सकती है।

(ii) नए ऋण

उत्पादक गतिविधियों को पुन: आरंभ करने के लिए समय पर नई वित्तीय सहायता न केवल वर्तमान उधारकर्ताओं को, बल्कि अन्य पात्र उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान खातों की स्थिति को गिनती में ना लेते हुए उधारकर्ताओं को दिए गए नए ऋण चालू देय माने जाएंगे।

(iii) वर्तमान ऋणों का पुर्ननिर्धारण

चूंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की ऋण चुकौती की क्षमता आर्थिक व्यवसाय की क्षति और आर्थिक आस्तियों की हानि के कारण बुरी तरह प्रभावित हो जाती है इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में यह आवश्यक हो जाता है कि ऋणों की चुकौती में राहत दी जाए, अत: वर्तमान ऋणों का पुननिर्धारिण आवश्यक होगा। फसल ऋणों में बकाया मूलधन राशि तथा कृषि मीयादी ऋणों के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज को मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाए। मीयादी ऋणों की पुनर्निर्धारित चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता और उसकी पुनरावृत्ति, आर्थिक आस्तियों की हानि की सीमा और विपत्ति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। सामान्यतया, चुकौती के लिए पुनर्निर्धारित अवधि 3 से 5 वर्ष हो सकती है। तथापि, जहां आपदा से हुई क्षति बहुत अधिक है, बैंक अपने विवेक के आधार पर चुकौती की अवधि 7 वर्ष तथा अत्याधिक मुसीबत में चुकौती अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक की जा सकती है। पुनर्निर्धारण के सभी मामलों में अधिस्थगन अवधि कम-से-कम एक वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, बैंकों को ऐसे पुर्ननिर्धारित ऋणों पर अतिरिक्त संपार्श्विक की मांग नहीं करनी चाहिए। पुनर्निर्धारित मीयादी ऋण और अन्य देय राशियों की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निम्नानुसार होगी -

क) पुनर्निर्धारित फसल ऋण चालू देय के रूप में माने जाएं तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्निर्धारित मीयादी ऋणों का आस्ति वर्गीकरण इसके बाद संशोधित शर्तों से शासित होगा तथा अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल औसत तथा लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल औसत के लिए मूलधन का ब्याज तथा/अथवा किस्त अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति माना जाएगा। कृषकों द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उपर्युक्त मानदण्ड पुनर्निर्धारित कृषि मीयादी ऋणों पर लागू होंगे।

ख) उपर्युक्त मानदण्ड आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित अग्रिमों पर पहले सूचित किये गये विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे।

ग) अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो तो 'मानक आस्तियों' के रूप में माना जाएगा और भविष्य में उनका आस्ति वर्गीकरण उसकी स्वीकृति की शर्तों और स्थिति से शासित होगा।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्वयं सहायता समूहों को उधार देने और अन्य मानदंडों में बैंक द्वारा अपने विवेधिकार के अधीन छूट दी जाए। इसी प्रकार, खुदरा अथवा उपभोग ऋणों के घटक में बैंक ऋणों का पुनर्निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि यह उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त हो।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक

प्राकृतिक आपदा आने के तुरन्त बाद, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एक विशेष बैठक प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा करने और बैंकों द्वारा समुचित राहत उपायों को तुरन्त तैयार करने और लागू करने के लिए आयोजित की जाए। बैंक अपनी आपदा प्रबंधन व्यवस्था का पर्याप्त प्रचार भी अपने हेल्पलाइन नंबरों सहित करें। विशेष रूप से गठित कार्यदलों अथवा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति में आरंभ किए गए राहत उपायों की आवधिक समीक्षा साप्ताहिक/पाक्षिक बैठकों में तब तक की जाए जब तक हालात सामान्य न हो जाएं।

कारोबार निरंतरता योजना

बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए परिदृष्य में कारोबार निरंतरता योजना कारोबार में आनेवाली रुकावट और प्रणाली असफलता को कम करने के लिए पहली प्रमुख आवश्यकता हो गयी है। कारोबार निरंतरता योजना प्रणाली के रूप में, बैंक द्वारा प्राकृतिक आपदा के घेरे में आने वाली संभावित शाखाओं के लिए अन्य शाखाओं की पहचान की जानी चाहिए। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों के बोर्डो से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बीसीपी पर नीति का अनुमोदन करें, पर्याप्त संसाधनों का आबंटन करें तथा उच्च प्रबंधन को इस संबंध में स्पष्ट अनुदेश और निर्देश उपलब्ध कराएं। बैंकों को केवल आपदा वसूली व्यवस्था ही नहीं करनी चाहिए बल्कि संपूर्ण विस्तृत बीसीपी तैयार करनी चाहिए। बैंकों को अपनी डीआर साइट अद्यतन रखने, उनकी विस्तृत जांच करने तथा प्राथमिक और द्वितीयक साइटों पर आंकडें साथ-साथ रखने पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश

(पिछले अंक से जारी)

यह संभव है कि रेत की ढलाई वाली भूमि के सुधार के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्यत: तीन इंच तक की रेत/सिल्ट के ढेर को बिना किसी वित्तीय सहायता के या तो हल चलाकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है अथवा किसानों द्वारा निकाला जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में की ऋण के आवेदनों पर विचार किया जायेगा जहाँ तत्काल खेती करना संभव हो तथा सुधार (रेत को निकालना) आवश्यक हो। जहाँ खारी भूमि के लिए भूमि सुधार हेतु वित्त की वारंटी दी गई है, वहाँ फसल ऋण के लिए अनुमत मान के 25 प्रतिशत से अनधिक भूमि सुधार की लागत फसल ऋण के साथ ही प्रदान की जाए।

अन्य कार्यकलापों जैसे कृषि, बागवानी, पुष्प-कृषि, पान के पत्तों की खेती आदि के लिए बैंक उनकी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत निवेश हेतु ऋण तथा कार्यशील पूंजी प्रदान करेंगे तथा स्वयं ही तैयार की गई सामान्य प्रक्रिया का

पालन करेंगे। कार्यशील पूंजी वित्त उस अवधि तक उपलब्ध करवाया जाए जब तक ऐसे खर्च को संभालने के लिए फसल की आय पर्याप्त न हो।

तथापि, वैयक्तिक मूल्यांकन के आधार पर खड़ी फसलों/बागों को क्षय से रोकने के लिए जरुरत पड़ने पर अतिरिक्त आवश्यकता आधारित फसल ऋण दिये जा सकते हैं।

बीजों की मात्रा तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की अधिप्राप्ति तथा सही व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पर प्रत्येक जिले की राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करना होगा। इसी प्रकार, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त सरकारी स्वामित्व वाले सतही तथा गहरे नल-कूपों तथा नदी उत्थान सिंचाई प्रणाली की मरम्मत राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । मत्स्य पालन के मामले में, राज्य सरकार का मत्स्य-पालन विभाग मछलियों को प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी तथा उसकी आपूर्ति उन लोगों को करेगा जो बैंक वित्त से टैंक मत्स्यपालन दुबारा शुरु करना चाहते हैं।

राज्य सरकार ऐसी योजनाएँ तैयार करने पर विचार करेगी ताकि उक्त प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली राशि के लिए वाणिज्य बैंक नाबार्ड दरों पर पुनर्वित्त प्राप्त कर सकें।

कारीगर तथा स्वनियोजित व्यक्ति

हथकरघा बुनकरों सहित ग्रामीण कारीगरों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के सभी वर्गों के लिए शेडों की मरम्मत, औजारों की प्रतिस्थापना एवं कच्चा माल खरीदने और गोदाम के लिए ऋण की आवश्यकता होगी। ऋण स्वीकृत करते समय संबंधित राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी/सहायता हेतु उपयुक्त भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

ऐसे कई कारीगर, व्यापारी तथा स्वनियोजित व्यक्ति होंगे जिनके पास किसी बैंक के साथ कोई बैंकिंग व्यवस्था अथवा सुविधा न हो लेकिन अब उन्हें पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की जरुरत पड़ेगी। ऐसे वर्ग बैंक शाखाओं से सहायता हेतु पात्र होगें जिनके अधिकार क्षेत्र में वे रहते हों अथवा अपना व्यवसाय/कारोबार करते हों। जहाँ ऐसे व्यक्ति/पार्टी एक से अधिक बैंक के अधिकार क्षेत्र में आते हों वहाँ संबंधित सभी बैंक मिलकर उनकी समस्या का हल निकालेंगे।

लघु एव अत्यंत लघु इकाइयाँ

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र, लघु औद्योगिक इकाइयों तथा मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की क्षतिग्रस्त छोटी इकाइयों के अंतर्गत आनेवाली इकाइयों के पुनर्वास पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कारखानों के भवनों/शेडों और मशीनों की मरम्मत एवं नवीकरण तथा क्षतिग्रस्त भागों को भी बदलने के लिए मीयादी ऋण और कच्चे माल की खरीद एवं गोदामों के लिए कार्यशील पूंजी तत्काल उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

जहाँ कच्चा अथवा तैयार माल बह गया या खराब या क्षतिग्रस्त हो गया हो वहाँ कार्यशील पूंजी के लिए बैंक के पास रखी गई जमानत नि:संदेह समाप्त हो जायेगी तथा कार्यशील पूंजी खाता (नकदी उधार /ऋण) खराब हो जायेगा। ऐसे मामलों में बैंक जमानत के मूल्य से अधिक आहरणों को मीयादी ऋण में बदल देगा तथा उधारकर्ता को अतिरिक्त कार्यशील पूँजी भी प्रदान करेगा।

इस प्रकार हुई हानि और पुनर्वास एवं उत्पादन और बिक्री को पुन: शुरु करने के लिए आवश्यक, समय के आधार पर, निर्माण करने की क्षमता को देखते हुए इकाई की आय के अनुसार मीयादी ऋणों की किस्तों को उपयुक्त रुप से पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। मार्जिन में हुई कमी में छूट देनी होगी अथवा उसे माफ भी किया जा सकता है और उधारकर्ता को उसके भविष्य में होने वाले नकद सृजन से धीरे - धीरे मार्जिन का निर्माण करने हेतु समय दिया जाना चाहिए। जहाँ राज्य सरकार अथवा अन्य एजेंसी ने अनुदान/सब्सिडी/ प्रारंभिक धन के लिए विशेष योजनाएँ तैयार की हों, वहाँ ऐसे अनुदान /सब्सिडी/ प्रारंभिक धन के लिए उपयुक्त मार्जिन निर्धारित किया जाए।

लघु/अत्यंत लघु इकाइयों को उनके पुनर्वास के लिए ऋण प्रदान करते समय बैंकों का ध्यान पुनर्वास कार्यक्रम शुरु करने के उपरांत मुख्य रुप से उद्यम की व्यवहार्यता पर होना चाहिए।

शर्तें

राहत ऋणों को नियंत्रित करने वाली शर्तें जमानत, मार्जिन आदि के मामलों में लचीली होंगी। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा गारंटीकृत छोटे ऋणों के संबंध में व्यक्तिगत गारंटियों पर जोर नहीं दिया जायेगा। किसी भी मामले में व्यक्तिगत गारंटी के लिए उधार को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

जमानत

जहाँ बाढ़ से हुई क्षति या विनाश के कारण बैंक की मौजूदा जमानत बह गई हो, केवल अतिरिक्त नई जमानत की मांग के कारण सहायता अस्वीकार नहीं की जायेगी। जमानत का मूल्य (मौजूदा तथा नए ऋण से प्राप्त की जानेवाली आस्तियों) ऋण की राशि से कम होने पर भी नया ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। नए ऋणों के लिए सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाना चाहिए।

जहाँ पहले व्यक्तिगत जमानत/फसल को दृष्टिबंधक रख कर फसल ऋण (जिसे मीयादी ऋण में परिवर्तित किया गया है) प्रदान किया गया हो, तथा उधारकर्ता परिवर्तित ऋण के लिए जमानत के रुप में भूमि का प्रभार /बंधक प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो केवल भूमि को जमानत के रुप में प्रस्तुत करने की उनकी असमर्थता के आधार पर उन्हें परिवर्तन सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए। यदि उधारकर्ता भूमि पर बंधक/प्रभार के विरुध्द पहले ही एक मीयादी ऋण ले चुका है, बैंक को परिवर्तित मीयादी ऋण के लिए द्वितीय प्रभार से संतुष्ट हो जाना चाहिए। बैंकों को परिवर्तन सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु तृतीय पक्ष की गारंटियों पर जोर नहीं देना चाहिए।

औजार बदलने, मरम्मत आदि के लिए मीयादी ऋण, तथा कारीगारों ओर स्वनियोजित व्यक्तियों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने या फसल ऋण के मामले में सामान्य जमानत प्राप्त की जा सकती है। जहाँ भूमि जमानत के रुप में हो, मूल स्वत्व अभिलेखों की अनुपलब्धता में उन किसानों जिनके स्वत्व अर्थात विलेख के रुप में तथा पंजीकृत बटाईदारों द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्रों के सबूत गुम हो गए हों, को वित्तपोषण करने हेतु राजस्व विभाग के प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार किये जा सकते हैं।

ग्राहक सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिशों के अनुसार बैंक किसी भी प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा गारंटी हेतु जोर दिये बिना उन उधारकर्ताओं को वित्त प्रदान करेगा जिन्हें रु.500 तक के ऋण की आवश्यकता हो।

मार्जिन

मार्जिन अपेक्षाओं में छूट दी जाए अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान अनुदान/सब्सिडी को मार्जिन समझा जाये।

ब्याज दर

ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार होंगी। तथापि, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके क्षेत्राधिकार में उधारकर्ताओं की कठिनाइयों पर उदारता का रुख उपनाएं तथा आपदा से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आएँ।

विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों को योजना के प्रावधानों के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाए।

चूक वाली वर्तमान बकाया राशि के संबंध में दण्डात्मक ब्याज लगाया नहीं जायेगा। बैंकों को ब्याज प्रभारों के यौगिक होने को उपयुक्त रुप से स्थगित करना चाहिए।

बैंकों को कोई दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाना चाहिए तथा परिवर्तित/ पुनर्निर्धारित ऋणों के संबंध में यदि कोई दण्डात्मक ब्याज लगाया जा चुका हो तो उसमें छूट देने पर विचार किया जाना चाहिए।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

प्राकृतिक आपदा आने पर राहत उपाय लेने में होनेवाले विलंब से बचने के लिए बैंकों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस संबंध में उचित नीति की रुपरेखा तैयार करनी चाहिए तथा नीति नोट की एक प्रति हमारे अभिलेख के लिए भेजनी चाहिए। यह उचित होगा कि इन उपायों में लचीलापन शामिल किया जाए ताकि यह इन उपायों से मेल खा सके और किसी विशेष राज्य या जिले की विशेष परिस्थिति में उपयुक्त साबित हो सके तथा इससे संबंधित मानदंडों को राज्य स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्शदात्री समिति, जैसा भी मामला हो, के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाए।

दंगे और गड़बड़ी

जब कभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दंगे/गड़बड़ी से प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए कहा जाता है तब इस प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का व्यापक रुप से पालन किया जाए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल वास्तविक व्यक्ति, राज्य प्रशासन द्वारा यथोचित रुप से पहचाने गये तथा दंगे/गड़बड़ी से प्रभावित व्यक्तियों को ही दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है।

राज्य सरकार से अनुरोध/सूचना प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूचना जारी करने के बाद बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं को अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस कारण दंगों से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने में सामान्यत: विलंब हो जाता है। प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दंगे /गड़बड़ी होने पर जिलाधीश अग्रणी बैंक अधिकारी को जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक, यदि आवश्यक हो, बुलाने के लिए तथा दंगों/गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में जान और माल की हानि पर एक रिपोर्ट जिला परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है। यदि जिला परामर्शदात्री समिति संतुष्ट है कि दंगे/गड़बड़ी के कारण जान और माल की व्यापक हानि हुई है, तो दंगे/गड़बड़ी से प्रभावित लोगों को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत प्रदान की जाए। कुछ मामलों में, जहाँ जिला परामर्शदात्री समितियाँ नहीं है, जिलाधीश राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक को प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए बैंकरों की एक बैठक बुलाने के लिए अनुरोध कर सकता है। जीलाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा उस पर जिला परामर्शदात्री/राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को रिकार्ड किया जाए ओर उसे बैठक के कार्य-विवरण में शामिल किया जाए। बैठक की कार्यवाही की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाए।

[समाप्त]

बैंकिंग

आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने में हुई चूक पर दंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित, राज्य सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि 24 जून 2006 को शुरू हानेवाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखने में की गयी चूक के मामलों में निम्नानुसार दंडात्मक ब्याज प्रभारित किया जाएगाा :

(i) दैनिक आधार पर अपेक्षित सीआरआर, जो कि वर्तमान में अपेक्षित कुल आरक्षित नकदी निधि अनुपात का 70 प्रतिशत है, को बनाए रखने में की गयी चूक के मामलों में उस दिन के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से वास्तव में बनाए रखी गयी राशि जितनी राशि से कम है, उस पर बैंक दर के अतिरिक्त तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उस दिन के लिए दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा तथा यदि यह कमी अगले अनुवर्ती दिन/दिनों में जारी रहती है तो बैंक दर के अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(ii) सीआरआर बनाए रखने में किसी पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर चूक के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) में परिकल्पित किए अनुसार दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगाा।

प्राइमरी डीलरशिप कारोबार करनेवाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक द्वारा अपने प्राइमरी डीलरशिप (पीडी) कारोबार के लिए अलग एसजीएल खाता रखने की आवश्यकता की पुन: जांच की और यह निर्णय लिया कि प्राइमरी डीलरशिप कारोबार के लिए बैंकों को एक अलग एसजीएल खाता रखने की आवश्यकता नहीं है। अत: विभागीय तौर पर प्राइमरी डीलरशिप कारोबार करनेवाले बैंक एकल एसजीएल खाता रखें। तथापि, बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की 100 करोड़ रुपये निर्धारित न्यूनतम राशि रखने के संबंध में निगरानी और प्राइमरी डीलरशिप कारोबार के अंतर्गत किए गए लेनदेनों के अभिलेख हेतु आंतरिक रूप से अलग बही खाते रखना आवश्यक होगा।

विदेशी मुद्रा

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जमानत का अनुरक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी जाए कि वे डेरिवेटिव खंड में अपने लेनदेनों के लिए भारत में मान्य प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को जमानत (कोलैटरल) के रूप में एएए रेटिंगवाले विदेशी सर्वोत्तम प्रतिभूतियों के प्रस्ताव दें। इस संबंध में परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत सेबी द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। इसके बाद भारत स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के तहत यथावश्यक विशिष्ट अनुमोदनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 से संपर्क कर सकते है।

विदेशी प्रतिभूतियों में म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवेश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत म्यूच्युअल फंडों के समुद्रपारीय निवेशों की वर्तमान सकल सीमा को बढाया तथा निवेश के अवसरों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, सेबी के पास पंजीकृत म्यूच्युअल फंडों को भारतीय कंपनियों के एडीआर/जीडीआर, निर्धारित ऋण लिखतों और समुद्रपारीय मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में कम-से-कम 10 प्रतिशत की शेयर धारितावाले समुद्रपारीय कंपनियों के ईक्विटी में निवेश की अनुमति दी जाती है। म्यूच्युअल फंडों को भारी मात्रा में निवेश योग्य समुद्रपारीय स्टॉक जुटाने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में 10 प्रतिशत पारस्परिक शेयर धारिता की आवश्यकता को हटा दिया गया है। सेबी के पास पंजीकृत म्यूच्युअल फंडों द्वारा किए जानेवाले समुद्रपारीय निवेशों की सकल सीमा को तत्काल प्रभाव से एक बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि भारतीय म्चूच्युअल फंडों की सीमित संख्या को सेबी द्वारा यथा अनुमोदित समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में संचयी रूप से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक निवेश करने की अनुमति दी जाए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**